



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीबी 031/2022-बीएचओ/

दिनांक : 18 /12/2023

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद(धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/ चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टर (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत (Online proposal No. FP/MP/Road/152561/2022) ।


संदर्भ: 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी 031/2022-बीएचओ दिनांक 11/05/2023.
2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1161/2022/10-11/4832 दिनांक 27/10/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अतिरिक्त अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Govt has reported that the area of Khandwa Forest Division which is 0.938 ha has been eliminated and separate proposal will be initiated for the same. This is not acceptable, since only a consolidated proposal shall be considered.
2. It appears that some part of proposed route is overlapped with already approved area of 16.81 ha (FP/MP/ROAD/32174/2018). It needs to be clarified.
3. With reference to this office EDS dated 11/05/2023 point 2 and 5 the detailed ATR has not been furnished. Details regarding appropriate action initiated by the State Govt. for violation under section 3A and 3B of the Forest (Conservation) Act, 1980 need to be furnished.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।


(डॉ. योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।